न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–1. श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस) किशनगढबास

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.</u>

23.3.22

<u>निर्णय</u>

आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थीयान अयुब,शेरमोहम्मद, हनीफ, पुत्रान व जमशीदा, साजरा, पुत्रीयान दिल्लू जाति मेव निवासी ग्राम साथलका द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयान के पिता का दिलदार के स्थान दिल्लू दर्ज हो गया। तथा प्रार्थी सं02 का नाम शेरमोहम्मद के स्थान पर शेरसिह दर्ज हो गया ।जिसे शुद्व किया जाकर सही नाम दीनदार के स्थान पर दिल्लू व शेरसिह के स्थान शेरमोहम्मद किया जाने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.क्ट मे दर्ज कर तहसीलदार किशनगढबास से रिकार्ड व मौके के अनुसार रिपोर्ट तलब की गई जिसमें तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.3..22 जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रिपार्ट पटवारी एवं भू– अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में प्रार्थीयान के पिता का नाम दीनदार के स्थान पर दिल्लू तथा प्रार्थी नं0 2 शेरसिंह के स्थान पर शेरमोहम्मद रिपार्ट पेश की है। तथाप्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबदियात में भी आ0ख0न 119,12,149 में प्रार्थीयान के पिता का नाम दिलदार है लेकिन प्रार्थी सं0 2 का नाम शेरसिह दर्ज है।लेकिन खााता सं0 38 में प्रार्थी न0 2 का नाम शेरमोहम्मद पुत्र दिल्लू दर्ज है। इसलिए कुछ जमाबंदीयात में सही होना बताया है। तथा कुछ जमाबंदीयात में गांव का नाम दल्लू दर्ज है तथा कुछ जमाबंदीया में सही नाम शेरमोहम्मद पुत्र दिल्लू दर्ज है।जिसे प्रार्थीयान के पिता का सही नाम दिलदार के स्थान पर दिल्लू खां व शेरसिह के स्थान पर शेरमोहम्मद शुद्व करने की पुष्टी होती है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार किशनगढबास (भूमिधारी) की रिपार्ट के आधार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमांदीयात, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है ओर ग्राम साथलका के खाता सं0 119,12,149 कें आराजी ख0न0 में प्रार्थीयान के पिता दिलदार के स्थान पर दिल्लू व प्रार्थी न0 2 शेरसिंह के स्थान पर शेरमोहम्मद पुत्र दिल्लू दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है।निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर लेख भण्डार हो।

(ओंप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)